<u>न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, औरैया।</u>
<u>प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0–56/2026</u>
CNR.No.UPAU120004352026

देवीरानी बनाम जिलेदार आदि।
एन0सी0आर0 सं0–114/2025
धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0
थाना–बेला, जिला औरैया।

<u>दिनांक–10.03.2026</u>

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0 पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थिनी रानी देवी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी दिनांक 30.08.2025 को समय करीव 5 बजे शाम प्रार्थिनी अपने दरवाजे पर बैठी थी उसी समय उपरोक्त लोग पुरानी मुकदमें की रंजिश को लेकर प्रार्थिनी को गाली गलौज करने लगे। प्रार्थिनी ने गाली देने से मना किया तो उपरोक्त लोगो ने लाठी डण्डो से प्रार्थिनी को बुरी तरह से मारा पीटा। उसी दौरान प्रार्थिनी की पुत्री ओमलता बिधूना से पढ़कर घर वापस आ गयी तो उसको भी गाली गलौज करके मारपीट की। प्रार्थिनी की पुत्री ओमलता का लावा कम्पनी का टैवलेट उपरोक्त लोगों ने तोड़ दिया जिससे करीब 35000/–रूपये का नुकसान हो गया है। प्रार्थिनी की शिकायत पर थाना बेला में एन0सी0आर0 1114/2025 अंकित की गयी। अतः प्रार्थना है कि एन0सी0आर0 सं0–114/2025 पर थानाध्यक्ष बेला को विवेचना करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0 के साथ स्वयं का शपथपत्र, एन.सी.आर. संख्या–114/2025 की छायाप्रति एवं एक किता छायाप्रति आधार कार्ड वहक देवीरानी प्रस्तुत किये गये हैं।

थाना बेला से प्राप्त आख्यानुसार थाना हाजा पर एन.सी.आर. संख्या–114/2025 अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 324(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत है, जिसकी विवेचना नहीं की जा रही है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मामला आवेदिका/महिला व उसकी पुत्री के साथ विपक्षीगण द्वारा मारपीट, गाली गलौज करने से सम्बन्धित है। अतः विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किया जाता है। थाना प्रभारी बेला, जिला औरैया को आदेशित किया जाता है कि वह वर्तमान मामले में दर्ज एन0सी0आर0 सं0–114/2025 अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 324(2) बी0एन0एस0 में नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कुशाग्र मिश्र)
अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP4693